(141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 713—तीन/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—04—2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 376/अपील/1992—93.

.....

1—गरीबा पुत्र गुलाब चमार
2—महिला रामकली पत्नी गरीबा चमार
3—पीतम पुत्र मरअुवा चमार
4—महिला ममताबाई पत्नी पीतम चमार
5--महिला छोटी पुत्री मथरा पत्नी भंवरलाल चमार
6--महिला सुनिया विधवा पतनी गुलवा चमार
7—कमला पुत्र अंजना चमार
8—महिला गोरा पत्नी कमला चमार
9—धरन पुत्र बडलिया चमार
10—सुनील पुत्र बडलिया दोनों अवयस्क
संरक्षक मां सगुनिया पत्नी बडलिया चमार
11—सगुनिया पत्नी बडलिया चमार
समस्त निवासीगण पिपराटंगा तहसील
खनियाधाना जिला शिवपुरी म0 प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1—चंदन पुत्र भगत सिंह ग्राम पिपराटंगा
2—हरी पुत्र भगतसिंह ग्राम पिपराटंगा
3—श्रीमती इंदर पत्नी चंदन ग्राम खिसलोनी
4—सेवक पुत्र अन्नत ग्राम खिसलोनी
5—नत्थू पुत्र बुद्धा ग्राम खिसलोनी
6—दयाला पुत्र परमा ग्राम खिसलोनी
7—पहलू पुत्र चांदा ग्राम खिसलोनी
8—सुमित्रा पत्नी झुमान ग्राम खिसलोनी

9–चंदन पुत्री बैजनाथ ग्राम खिसलोनी
10–रैना पुत्री धनीराम
11–कमला बाई पत्नी शीतल प्रसाद
निवासीगण पिपरा तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0 प्र0
12–नथन सिंह पुत्र सूरत सिंह
निवासीगण पिपरा तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0 प्र0
13–हरदेवा 14–किशनलाल पुत्रगण
दौला निवासीगण खिसलोनी
15–रमेश पुत्र रतन सिंह निवासी
पिपराटना तहसील पिछोर
16–राजो पुत्री रामचरण ग्राम खिसलोनी
17–प्रेम पुत्री रामरचण ग्राम खिसलोनी
18–विदिया पत्नी देवचंद ग्राम खिसलोनी
19–हल्कै भैया पुत्र रामरत ग्राम खिसलोनी
20–भूरा पुत्र पारीक्षत निवासी पिपरा
21–तिलुआ पुत्र परीक्षत निवासी पिपरा
22–रामकली पत्नी रघुवर ग्राम खिसलोनी
23–इंदर पत्नी चंदन ग्राम खिसलोनी
24–रामदेवी पत्नी नंदकिशेर ग्राम खिसलोनी
25–प्रहलाद पुत्र रामरतन ग्राम खिसलोनी
26–कलावती पत्नी चिरोंजीलाल ग्राम खिसलोनी
27–अवध कुमार पुत्री हरदास ग्राम खिसलोनी
28–जयराम पुत्र रतन सिंह ग्राम खिसलोनी
29–बालकृष्ण आनंदी निवासी नयागांव
30–भवानी सिंह पुत्र बलवीर सिंह ग्राम खिसलोनी
31–भूता पुत्र मधु ग्राम खिसलोनी
32–भागवती पुत्र अनंदी निवासी खनियाधाना
समस्त निवासी जिला शिवपुरी म0 प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 एस0 सेंगर अभिभाषक, अना0 क0 1,2,4,8,9,10,11
श्री एस0 पी0 धाकड़ अभिभाषक, अना0 क0 1, 8, 10
शेष अनावेदकगण सूचना–उपरांत अनुपस्थित।

आदेश

(आज दिनांक 20.08.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–04–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण कमांक 2/अ–19/89–90 में पारित आदेश दिनांक 27.7.90 के द्वारा ग्राम खिसलोनी में सीलिंग से अतिशेष घोषित भूमि का हरिजनों, आदिवासी एवं भूमिहीन व्यक्तियों को वंटन किया गया। इस आदेश से परिवेदित होकर इस न्यायालय में अनावेदक कमांक–11 रामकली पत्नी गरीबा चमार आदि ने कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 21/अपील/90–91 में पारित आदेश दिनांक 21.4.93 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.7.90 निरस्त किया गया तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदक कमांक 1 से 11 ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 376/92–93/अपील पर दर्ज होकर उसमें दिनांक 16.4.08 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई, (लेकिन अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर निगरानी के रूप में सुना गया) इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि ग्राम खिसलोनी में सीलिंग में अतिशेष घोषित भूमि के बंटन बावत विधिवत तहसीलदार के द्वारा इस्ताहर जारी किया जाकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, उसके पश्चात ही भूमिहीन, हरिजन, आदिवासियों को पटटे् नियमानुसार आबंटित किये गये थे। आवेदक अधिवक्ता के तर्क में यह भी बल मिलता है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की लेकिन उसमें म0 प्र0 शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह मुख्य पक्षकार था। अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की थी वह प्रचलन योग्य ही नहीं थी क्यों कि म0 प्र0 शासन को बगैर पक्षकार बनाये आदेश अपर आयुक्त द्वारा किया गया है वह अधिकारिता रहित है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि तहसीलदार खनियाधाना ने प्रकरण कमांक 88/2001–02/अ–19 (1) में पारित आदेश दिनांक 4.8.2002 द्वारा ग्राम कचनारिया की भूमि सर्वे कमांक 569 मि, 574/1, 585/1, 593, 634, एवं 637 आदि के पटटे् भूमिस्वामी अधिकारों के अधीन आवेदकगण के हित में विधिवत् कार्यवाही के पश्चात ही प्रदान किये थे। आवेदकगण का राजस्व अभिलेख में नाम अंकित होकर ऋण पुस्तिकायें भी दी जा चुकी थी। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में आवेदकगणों एवं शासन को पक्षकार बनाया जाता तो शासन की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य जानकारी में अवश्य लाया जाता कि शासन द्वारा आवेदकगणों को नियमानुसार पटटे् आबंटित किये गये हैं।

5–मेरे द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण का भी अवलोकन किया गया जिसमें कलेक्टर द्वारा अपने आदेश के पैरा –4 में स्पष्ट लेख किया है कि उनके द्वारा स्वयं ग्राम में जाकर निरीक्षण किया एवं बंटितियों के संबंध में जानाकरी एकत्रित की जिसके अनुसार बंटिती हरदेव, किशन, चंदन एवं हरी बंटितियों की पात्रता के कम में नहीं आते हैं, बंटिती रमेश यादव के पिता के पास 6.259 है0 भूमि पूर्व से है, राजो एवं प्रेम पुत्री रामचरण ग्राम में नहीं रहते हैं तथा इनके पति के नाम 1.000 है0 भूमि थीं इसी प्रकार कमला, मिदिया, बेताल, हल्के भईया, तिजुआ, रामकली आदि सवर्ण थे तथा इनके परिवार में पूर्व से ही कृषि भूमि थी।

6– प्रकरण के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि आवेदकगण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं तथा भूमिहीन थे। कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा ग्राम में स्वयं जाकर निरीक्षण किया उसके बाद ही उनके द्वारा आवेदकगण को पटटे की पात्रता होने के बाद ही उन्हें पटटे प्रदाय किये गये। आवेदकगण ग्राम के स्थाई निवासी हैं, भूमिबंटन में आवेदकों को भूमिहीन की सूची में सम्मिलित कर पात्रतानुसार उन्हें बंटन किया गया था, लेकिन इस ओर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और यह भी विचार नहीं किया गया कि उनके न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में अनावेदकगण द्वारा म0 प्र0 शासन को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः निगरानी में जो आदेश पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है। अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा आदेश पारित किया गया जिसे निरस्त करने में त्रुटि की गई है। इन सब परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुये अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश दिनांक 16.04.2008 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 373/अपील/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 16.4.2008 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर जिला शिवपुरी का प्रकरण कमांक 21/अपील/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 21.4.93 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर